


सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन
संचार (एसबीसीसी) प्रशिक्षण

5
मॉड्यूल

सामाजिक समावेशन

अवधि: एक दिवस



United Nations Children's Fund
UNICEF House
73 Lodi Estate
New Delhi 110003
INDIA

Telephone 91 11 2469-0401
Facsimile 91 11 2462-7521/
2469-1410

www.unicef.org

FOREWORD


Institutional strengthening through capacity development and skill enhancement is an important human resource strategy. It is especially relevant in light of the fact that while the Government has the required resources, appropriate policy framework, and large-scale public service and flagship programmes, what is equally important are capacities at individual, institutional and policy levels to ensure effective delivery, meet demand, and improve the reach and use of these services.

With this consideration, UNICEF in discussion with Ministry of Health & Family Welfare, has developed the '*Tarang*', social and behaviour change communication (SBCC) training package. The package comprises five modules for divergent SBCC stakeholders such as master trainers, senior managers, mid-level managers, and frontline functionaries. There is an exclusive module on social inclusion, appreciating that this is an important element in programming for change.

Since the modules are skill-based, they can easily be adapted to suit any program requirement with minor modification in examples and role plays. Thus, the package can be used for any flagship program such as the Integrated Child Development Services, *Swachh* Bharat Mission, Integrated Child Protection Services, and others. A strong communication component in these programs will enhance reach, ensure quality exchange between service providers, communities and families, and in the long run yield improved results.

UNICEF is fully committed to effectively support relevant Government Ministries and State Departments through a more efficient delivery system. I am confident that the SBCC training package will contribute in a fruitful manner towards strengthening the SBCC component of significant government flagship programmes that ensure the rights and wellbeing of all women and children in India.


Louis-Georges Arsenault
Representative



ACKNOWLEDGEMENTS

The TARANG Social and Behaviour Change Communication (SBCC) training package, designed to develop understanding of and capacities in integrating social and behavior change communication as a key component of public health programming, comprises five modules. It was conceptualized and guided by a core team from the UNICEF India Office, including Mario Mosquera, Chief, Communication for Development; Rachana Sharma, Communication for Development Specialist; and Geeta Sharma, Communication for Development Officer.

Training modules 1-4 have incorporated valuable recommendations made by the Immunization Division, Ministry of Health & Family Welfare and the Immunization Technical Support Unit (ITSU) following a close review.

The package was developed, pre-tested, and finalized by a team of consultants and the agency New Concept Information Systems.

Acknowledgements are also due to the UNICEF India C4D network, in particular Alka Malhotra, Bhawani Shankar Tripathy, Seema Kumar, Sanjay Singh and Bhai Shelly for their insights at various stages of development of this package.



विषय सूची

विषय

पृ.सं.

इस निर्देशिका का प्रयोग कैसे करें

दिन ।	
सत्र 1 – परिचय और औपचारिकता को तोड़ना	8
सत्र 2 – सामाजिक बहिष्कार विषय पर अनुभवों को बांटना	9
सत्र 3 – सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार में इसकी महत्ता को समझना	10
सत्र 4 – लैंगिक भेदभाव को समझना	14
सत्र 5 – दलितों के बहिष्कार को समझना	17
सत्र 6 – संचार और सामाजिक समावेशन के लिए समूह कार्य	19
सत्र 7 – मूल्यांकन और समापन	20
परिशिष्ट	23

प्रथम दिन का कार्य

सत्र	सत्र का नाम	समय	प्रणाली
1	परिचय और औपचारिकता को तोड़ना	09:30 से 10:00	एक-दूसरे का परिचय
2	सामाजिक बहिष्कार के निजी अनुभवों को बांटना	10:00 से 10:30	सामूहिक चर्चा
3	सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार में इसकी महत्ता को समझना	10:30 से 11:30	अनुरूपण अभ्यास और चर्चा
चाय 11:30 से 11:45 बजे (15 मिनट)			
4	लैंगिक भेदभाव को समझना	11:45 से 13:15	अभ्यास और सामूहिक चर्चा
लंच 13:15 से 14:15 बजे (60 मिनट)			
5	दलितों के बहिष्कार को समझना	14:15 से 15:00	फिल्म: मैं एक दलित हूँ
6	संचार और सामाजिक समावेशन के लिए समूह कार्य	15:00 से 16:30	एसबीसीसी योजना की प्रतियाँ
चाय 16:30 से 16:45 बजे (15 मिनट)			
7	मूल्यांकन और समापन	16:45 से 17:15	सौ में सत्तर आदमी

आवश्यक सामग्री

सत्र 1

चित्र कार्ड को दो भागों में काटें। (प्रत्येक कार्ड पर अलग-अलग तस्वीरें बनाएं, जिसमें हर एक कार्ड 4 इंच x 3 इंच का हो। सभी को दो टुकड़ों में काटें। कार्ड की संख्या, प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों की संख्या से आधी होनी चाहिए और हर एक को एक टुकड़ा मिलना चाहिए।) कार्ड पर तस्वीर की जगह वर्णमाला के अक्षर भी लिखे जा सकते हैं।

सत्र 2

लिखने के लिए बोर्ड और मार्कर पेन या ब्लैकबोर्ड और चॉक, डस्टर

सत्र 3

- चार्ट पेपर के छः टुकड़े (30 सेमी x 15 सेमी साइज का)
- मार्कर पेन (मोटा और अलग-अलग रंगों का हो तो ज्यादा अच्छा)

सत्र 4

- तीन मिनरल वॉटर की बोतलें, जो पानी से आधी भरी हों।
- कपड़े के तीन टुकड़े जो तीन लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने के काम आएँ।

सत्र 5

- 'मैं एक दलित हूँ' की सीडी
- लैपटॉप और एलसीडी या टीवी और डीवीडी प्लेयर
- सफेद बोर्ड और मार्कर पेन

सत्र 6

- बोर्ड/चॉक/मार्कर/डस्टर
- पहले 5 दिवसीय कार्यक्रमों से एसबीसीसी योजना की भरी हुई छह प्रतियाँ
- चार्ट पेपर (12-15) और मार्कर पेन (6)

सत्र 7

- गीत: सौ में सत्तर आदमी

सत्र 1

परिचय और औपचारिकता को तोड़ना

9:30 से 10:00 बजे (30 मिनट)

सत्र का परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- एक खुशहाल और अनुकूल शिक्षण का माहौल बना पाएंगे, जिससे प्रतिभागी और प्रशिक्षक एक-दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हो सकें।

आवश्यक सामग्री

चित्र कार्ड को दो भागों में काटें। (प्रत्येक कार्ड पर अलग-अलग तस्वीर बनाएं जिसमें हर एक कार्ड 4 इंच x 3 इंच का हो। सभी को दो टुकड़ों में काटें। कार्ड की संख्या, प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों की संख्या से आधी होनी चाहिए और हर एक को एक टुकड़ा मिलना चाहिए।) कार्ड पर तस्वीर की जगह वर्णमाला के अक्षर भी लिखे जा सकते हैं।

नोट: सत्र के संचालन और आगामी सत्रों के लिए दो प्रशिक्षकों की आवश्यकता है।

कार्य प्रणाली

चित्रों को जोड़ना और परिचय।

प्रक्रिया

1. कोई एक प्रशिक्षक सत्र की शुरुआत यह कहते हुए करें कि:

सामाजिक समावेश विषय पर आयोजित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। विकास के क्षेत्र में हम जो काम कर रहे हैं, यह सामाजिक समावेशन का आशय और हमारे काम में उसकी प्रासंगिकता को समझना आवश्यक है। आज के दिन हम सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सत्र में जाने से पहले हम अपना परिचय देना शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग एक-दूसरे को जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। इसलिए हम एक सरल अभ्यास के माध्यम से एक-दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे।

कमरे के बीचों-बीच एक बॉक्स में आधे काटे गए कार्डों को रखें और उसे अच्छी तरह मिला दें। अब हरेक प्रतिभागी को एक-एक कार्ड उठाने को कहें। दोनों प्रशिक्षक भी एक-एक कार्ड उठाएंगे। जब सभी प्रतिभागी और प्रशिक्षक कार्ड उठा लें तो बोलें- अब सभी के पास एक-एक कार्ड है जो एक आधी कटी तस्वीर है। अब हमें यह पता करना है कि इसका दूसरा हिस्सा किसके पास है? कृपया आसपास घूमें और अपनी तस्वीर के आधे भाग को खोजें। जैसे ही तस्वीर का आधा भाग किसी प्रतिभागी के पास मिल जाता है उसके साथ अपनी जोड़ी बनाएं। चलिए, अब शुरू करें।

2. जब सभी प्रतिभागियों के जोड़े बन जाएं (यदि प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों की संख्या विषम हो और एक व्यक्ति अकेला रह जाए तो उसे किसी जोड़े के साथ शामिल होने को कहें, या कोई एक प्रशिक्षक किसी कार्ड को न उठाए और वह किसी जोड़े के साथ शामिल होकर त्रिगुट बनाएं)। अब सभी को आपस में परिचय देने को कहें (उनको अपने नाम, अपने परिवार के बारे में और अपने खाली समय को कैसे बिताते हैं - यह कोई शौक भी हो सकता है, बताना है)। हरेक को इसके लिए 5 मिनट का समय दीजिए समय समाप्त होने के बाद, प्रतिभागियों को अपने साथियों के साथ बैठने के लिए कहें। अब हर एक प्रतिभागी को अपने साथी का परिचय देने को कहें। इसमें प्रशिक्षक भी शामिल हों।
3. आपसी परिचय के समाप्त होने के बाद इस खुशनुमा सत्र के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहें - जैसा कि आज के शुरुआती सत्र में उल्लेख किया जा चुका है कि आज का सत्र काफी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह सत्र आपके काम का और जीवन में उपयोगी साबित होगा।



सत्र 2

सामाजिक बहिष्कार विषय पर अनुभवों को बांटना

10:00 से 10:30 बजे (30 मिनट)

सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- प्रारंभ में सामाजिक बहिष्कार पर प्रकाश डालना शुरू करेंगे और यह बताएंगे कि बहिष्कृतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
- सामाजिक समावेशन के बारे में सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बनाएंगे।

आवश्यक सामग्री

लिखने के लिए बोर्ड और मार्कर पेन या ब्लैकबोर्ड और चॉक, डस्टर

कार्य प्रणाली

कुछ प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को पूरे समूह के समक्ष साझा करेंगे और इसके बाद एक संक्षिप्त बातचीत होगी।

प्रक्रिया

सत्र की शुरुआत यह कह कर करें- सामाजिक समावेशन क्या है? सामाजिक समावेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार के बारे में समझने की जरूरत है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या है- इस विषय पर प्रतिभागियों से उनके विचार साझा करने को कहें। कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने विचार साझा किए जाने के बाद यह उल्लेख करें कि सामाजिक बहिष्कार किसी इंसान को उसकी जाति, लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार भेदभाव करते हुए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने को कहते हैं। नीचे के बॉक्स में कुछ बिन्दुओं को रेखांकित करें।

सामाजिक बहिष्कार, निम्न बिन्दुओं में से कोई भी हो सकता है:

- चयनित प्रावधान और/या संसाधनों पर स्वामित्व, नियंत्रण प्राप्त करने से पूरी तरह से इनकार।
- उत्पादक संसाधनों पर अधिकार और श्रम के अधिकार से वंचित करना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक सुविधाओं, मनोरंजन सुविधाओं और रिक्त स्थान, बुनियादी ज़रूरतों के अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऐसा माहौल बनाना कि यह किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में हो।
- सामाजिक संवाद की मनाही तथा सामाजिक स्थान के लिए इनकार करना।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं में प्रतिनिधित्व और भागीदारी के अधिकार से वंचित करना।
- ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे कोई पलायन या बदलाव के लिए बाध्य हो और/या कहीं आने जाने के अधिकार, धर्म पालन के अधिकार और संगठित होने के अधिकार का हनन हो।
- मानवीय गरिमा से वंचित करना।
- संवैधानिक और मानव अधिकारों से वंचित करना।



सत्र 3

सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक एवं व्यवहार

परिवर्तन संचार में इसकी महत्ता को समझना

10:30 से 11:30 बजे (60 मिनट)

सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी निम्नलिखित रूप से योग्य हो पाएंगे:

- 'बहिष्करण' की सुस्पष्ट व्याख्या करेंगे और उससे जुड़े अपमान, कुंठा, और असहाय भाव के बारे में समझ जाएंगे।
- सामाजिक प्रतिबंधों के थोपे जाने पर उनकी 'भावनाओं' को साझा करेंगे और अपनी संचार योजनाओं में समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील हो जाएंगे।

आवश्यक सामग्री

- छ: चार्ट पेपर (30 सें.मी. x 15 सें.मी.)
- मार्कर पेन (मोटे और पांच अलग-अलग रंगों के)

कार्य प्रणाली

- अनुकरण
- अभ्यास, चर्चा

प्रक्रिया

1. प्रतिभागियों को छ: समूहों में विभक्त करें और प्रत्येक समूह को एक-एक चार्ट पेपर दें। प्रत्येक समूह को नीचे लिखे अनुसार एक भूमिका निभाने के लिए कहें:
 - समूह 1: अनुसूचित जाति/जनजाति
 - समूह 2: महिलाएं (अकेली माताएं, विधवाएं और परिवार की मुखिया)
 - समूह 3: विकलांग
 - समूह 4: धार्मिक अल्पसंख्यक
 - समूह 5: अमीर और प्रभुत्वशाली जातियां
 - समूह 6: एचआईवी या कुष्ठ से प्रभावित लोग


प्रतिभागियों से कहें कि अभ्यास के दौरान प्रत्येक समूह के सदस्य को उनके समूह के लिए नियत व्यक्तियों की तरह सोचना और व्यवहार करना है और उनकी गतिविधियां उस समाज की सच्चाई को प्रदर्शित करें।

समूह 1	●	शु
समूह 2	●	क
समूह 3	●	र
समूह 4	●	ने
समूह 5	●	की
समूह 6	●	ला
		ई
		न





2. प्रत्येक समूह को प्लेकार्ड बनाने के लिए एक चार्ट पेपर और मार्कर पेन दें और उन्हें मोटे अक्षरों में अपने लिए नियत वर्ग का नाम प्लेकार्ड पर लिखने के लिए कहें।
3. प्रशिक्षण हॉल के फर्श पर लाइनें खींचें और सभी समूहों को चित्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार शुरुआती बिंदु पर खड़ा होने को कहें।
4. एक प्रशिक्षक कथनों की सूची को पढ़ कर सुनाते हैं (यह सत्र के अंत में दिया गया है)।
5. प्रतिभागियों से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, अपने समूह में चर्चा करने तथा यह निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया जाता है कि क्या वास्तविक जीवन की स्थितियों में, वे इस कथन का पालन कर सकते हैं।
6. यदि किसी समूह को प्रतीत होता है कि वे वास्तविक जीवन में इसे अपना सकते हैं, तो उस समूह के एक सदस्य को हाथ में प्लेकार्ड लेकर तुरंत एक कदम आगे बढ़कर शुरुआती बिंदु के आगे वाली लाइन पर खड़े होने के लिए कहा जाता है।
7. इसके विपरीत, यदि कोई समूह यह महसूस करता है कि इसे वास्तविक जीवन में नहीं अपनाया जा सकता है, तो प्लेकार्ड पकड़ कर रखने वाले उनके प्रतिनिधि को अपने स्थान पर ही खड़े रहने के लिए कहा जाता है।
8. जब कथनों को पढ़ा जा रहा हो, तब प्रत्येक समूह आपस में उन पर विचार-विमर्श करेंगे और अपने प्रतिनिधि से पूछेंगे कि क्या उसे वहीं रहना है या एक कदम आगे बढ़कर दूसरी पंक्ति पर खड़े होना है। यह सिलसिला सभी 10 से 12 कथनों के पढ़े जाने तक और तदनु रूप क्रिया करने तक चलता है।
9. प्रतिनिधि चाहें तो सभी 6 लाइनें पार करने के बाद भी आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं।
10. अभ्यास के अंत में आप पाएंगे कि समूह अलग-अलग स्थितियों पर खड़े हैं। एचआईवी/कुष्ठ से प्रभावित लोग एक या दो कदम आगे आए होंगे, दलित वर्ग वाले तीन या चार कदम बढ़े होंगे और इसी तरह अन्य समूह होंगे। अमीर/प्रभुत्वशाली समूह सबसे आगे होगा।



11. जब यह अभ्यास संपन्न हो जाए तब निम्नलिखित प्रश्न पूछें :

- हमने यहां क्या देखा?
- कौन सा समूह सबसे आगे बढ़ा?
- कौन सा समूह पिछड़ गया?
- प्रत्येक समूह कितना आगे बढ़ा?
- वर्गों के इस स्थिति का क्या कारण है?
- लोगों को क्या चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या समूहों को समान अधिकार प्राप्त थे?
- यदि उत्तर 'नहीं' में है तो पूछें ऐसा क्यों है?
- कौन सा समूह खुश था और कौन सा नहीं?



विभिन्न समूहों के सदस्यों को आपस में बातचीत करने दें कि अभ्यास के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया। क्या उन्होंने अन्याय के भाव का अनुभव किया? सदस्यों ने जो कुंठा, असहाय होने की भावना और उदासी महसूस की थी उसके बारे में पता करने का प्रयास करें।

प्रत्येक प्रश्न के बारे में अपनी भावनाएं और विचार बताने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रतिभागियों को पर्याप्त समय दें। याद रखें कि हमें उनकी भावनाएं पता करनी हैं, ताकि वे आंतरिक रूप से जान सकें कि उन्होंने क्या कहा और सुना।

पूछें कि क्या ऐसी परिस्थितियां हमारे समुदायों में अस्तित्व में हैं? क्या लोगों को महज उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत, लिंग या सेहत के आधार पर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है? प्रतिभागियों को अपने विचार बताने के लिए समय दें।



सत्र का समापन

- हमारे समाज में अभी भी अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं।
- हम लोगों का बड़ा वर्ग पक्षपात का शिकार है।
- एचआईवी और/या कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों, विधवाओं, दलितों और आदिवासियों के मामले में समस्या अत्यंत गंभीर है। महिलाएं आमतौर पर जीवन के हर क्षेत्र में पक्षपात की शिकार हैं।
- भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक हैसियत पर विचार किए बिना सभी को समान अधिकार प्रदान करती है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के पक्षपात को समाप्त करने वाली संस्था और बच्चों के हितों की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि ने दुनियाभर में स्वीकार किया है कि सभी व्यक्ति समान अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं और मानवीय हितों की रक्षा की गारंटी चाहते हैं। (विभिन्न सम्मेलनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी सत्र के अन्त में दी गई है।)
- पिछले कई वर्षों में भारत सरकार ने मानवीय अधिकारों को अपने विकास योजनाओं के केंद्र में रखा है। भोजन का अधिकार, जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, सूचना का अधिकार - ये सभी समाज में समानता और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में उन्मुख हैं।
- यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कोई एसबीसीसी पहल इस मूल सिद्धांत को समझे और सुनिश्चित करें कि हम उनको लक्षित कर रहे हैं, जो पक्षपात के शिकार हैं और अत्यंत संकटपूर्ण अवस्था में हैं। उनका सशक्तीकरण करने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने से हम अपने लक्ष्य पाने में कामयाब हो सकते हैं।
- हमें अपनी प्रत्येक गतिविधि को समावेशन पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो हम करते हैं जैसे घरों का दौरा (गरीब और उपेक्षित लोगों के घर चुनें), समूह बैठक (पक्षपात पर ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि वे इसमें भागीदारी करें और अपने विचार व्यक्त करें), सेवा प्रदान करना (सुनिश्चित करें कि गरीब और असुरक्षित को प्राथमिकता मिले और वे इसका लाभ उठाएं) इत्यादि।

“ कथन, जो पढ़ कर सुनाए जाने हैं

आप कितने निश्चित हैं कि....

- आपके बच्चे के साथ विद्यालय में समान व्यवहार किया जाएगा?
- गांव के राशन की दुकान में आपको अपने हिस्से का राशन मिल जाएगा?
- जब आप अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो आपको वहां सबसे अच्छी देखभाल मिलेगी?
- सरपंच, एएनएम, डॉक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामसेवक आदि आपकी समस्या पर विचार करने आपके घर आएंगे?
- आप अपने बेटे को कॉलेज जाने के लिए मोटर साइकिल खरीद कर दे सकते हैं?
- आप एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आयोजित सभा में निर्भयतापूर्वक शामिल हो सकते हैं और वे आपकी बात सुनेंगे?
- आपकी बेटी उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकती है?
- आपको स्थानीय पुलिस थाने में न्याय मिलेगा?





- आपके कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध कोई अन्याय नहीं होगा?
- आप आगामी धार्मिक त्योहार अपने मनचाहे ढंग से मना सकते हैं?
- समान किस्म के कार्य के लिए आपको पुरुषों के बराबर मज़दूरी मिलेगी?
- यदि आवश्यक हो, तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य की महंगी शल्यक्रिया करा पाएंगे?

“ फेसिलिटेटर के लिए नोट

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र (संयुक्त राष्ट्र संघ)

जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र पर विचार किए बिना समान अधिकार उपलब्ध कराता है। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा व अधिकारों के नज़रिये से समान होते हैं। उनमें अच्छे-बुरे की समझ होती है और उन्हें एक-दूसरे के साथ भाईचारे की इच्छा के साथ व्यवहार करना चाहिए।

इस घोषणा पत्र के अनुसार हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, जैसे जाति वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा, देश या क्षेत्रीय मूल, संपत्ति, जन्म या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा के सभी अधिकार पाने और स्वतंत्रता का हक है। इतना ही नहीं, व्यक्ति जिस देश या क्षेत्र से संबंध रखता है, वह किस राजनीतिक, न्यायिक या अंतर्राष्ट्रीय हैसियत का है, इसको लेकर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे वह स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या कोई अन्य सीमित प्रभुसत्ता का हो।

महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर अधिनियम (CEDAW)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1979 में महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव (CEDAW) के उन्मूलन पर अधिनियम बना जिसमें महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे भेदभाव और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम को परिभाषित किया गया।

अधिनियम में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार- लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव, बहिष्कार या प्रतिबंध, जो महिलाओं के पहचान को बिगाड़ता हो, महिलाओं और पुरुषों की समानता के आधार पर महिलाओं के आनंद या व्यायाम को समाप्त करता हो, उनकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान न देता हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी दूसरे क्षेत्र में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की समानता के आधार पर किया गया भेदभाव।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत का राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया संगठन है जो जनादेश के साथ महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं-

- महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता लाना। इनके बीच कानूनी अधिकारों की जानकारी लाने के साथ-साथ इन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना।
- मुकदमेबाजी से पहले की सेवाओं के माध्यम से अपनी शिकायतों के निवारण में महिलाओं की सहायता करना।
- देश के विभिन्न भागों में पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन करके महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाना।

बच्चों के अधिकारों का अधिनियम (संयुक्त राष्ट्र संघ), 1989

प्रत्येक बच्चे को उसकी या उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय, नैतिक या सामाजिक मूल, संपत्ति, अक्षमता, जन्म या दूसरी हैसियत पर विचार किए बिना समानता का अधिकार है।

इन अधिकारों में हैसियत, गतिविधियों, व्यक्त विचारों, या बच्चे के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या परिवार के सदस्यों के विश्वास के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव या दंड से सुरक्षा शामिल है। प्रत्येक बच्चे का जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण होना अनिवार्य है और उसे नाम पाने, राष्ट्रीयता हासिल करने और माता-पिता द्वारा यथासंभव देखभाल किए जाने का अधिकार है।

अन्य अधिकारों में शामिल हैं: शिशु मृत्यु दर कम करने के उपाय, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर देते हुए हर बच्चे को आवश्यक चिकित्सा सहायता, रोगों और कुपोषण से मुकाबला, माताओं के लिए गर्भावस्था से पूर्व और बाद में स्वास्थ्य संबंधी समुचित देखभाल, समाज के हर तबके, खासकर माता-पिता और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और मूलभूत शिक्षा का बच्चों की सेहत और पोषण में इस्तेमाल, स्तनपान, स्वच्छता और पर्यावरणीय साफ-सफाई के फायदे और दुर्घटना की रोकथाम, और प्रतिरोधक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा और सेवाओं का लाभ उठाने में अभिभावकों व परिवारों का मार्गदर्शन करना।





चाय अवकाश

11:30 से 11:45 बजे (15 मिनट)



सत्र 4

लैंगिक भेदभाव को समझना

11:45 से 13:15 बजे (90 मिनट)

सत्र का परिणाम

सत्र के अन्त में प्रतिभागी:

- महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की गहरी समझ और उनकी चुप्पी को तोड़ने की ज़रूरत को समझ पाएंगे।

आवश्यक सामग्री


- आधी भरी हुई तीन मिनरल वॉटर की बोतलें
- आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कपड़े के तीन टुकड़े

कार्य प्रणाली


- अनुकरणीय अभ्यास
- सामूहिक चर्चा/प्रस्तुति

प्रक्रिया

1. प्रतिभागियों में से तीन लोगों को स्वयंसेवक बनने के लिए अनुरोध करें।
2. कमरे के बीच में फर्श पर सीधी रेखा में तीनों बोतलों को इस तरह रखें कि एक बोतल से दूसरे बोतल की दूरी 1 मीटर हो।



3. स्वयंसेवकों को बोलें कि वे बोतलों पर इस तरह कदम रखें जिससे उनके कदम बोतल को न छुएं और न उन्हें गिराएं। उन्हें अच्छी तरह समझाएं कि उन्हें बोतल पर चलना नहीं है। इसे पहले स्वयं करके उन्हें समझाएं।



4. उन्हें बताएं कि कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागियों को ताली बजाने के लिए कहें। साथ ही, आप स्वयं भी ताली बजाएं।





5. जब वे कई बार अभ्यास कर लें, तो उन्हें बोलें कि अब उनको आंखों पर पट्टी बांधनी है। यदि इसके लिए उन्हें और अभ्यास करना है, तो वे स्वेच्छा से कर सकते हैं।
6. नम्रता से लेकिन दृढ़ता से अन्य प्रतिभागियों को बोलें कि जब स्वयंसेवक अभ्यास कर रहे हैं तो वे चुप रहें और कोई टिप्पणी या आलोचना न करें। बेशक, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. ध्यान दें कि आंखों पर पट्टी बांधे स्वयंसेवकों पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहा है। साथ ही, यह भी ध्यान दें कि उनकी आंखों पर पट्टी ठीक से बंधी हुई है और वे नहीं देख पा रहे हैं।
8. बाकी प्रतिभागियों से कहें कि जब स्वयंसेवक एक भी बोतल गिरा दे तो क्या किया जाना चाहिए।
9. कोई सुझाव या हल्की सजा के लिए मना कर दें। इसके बदले में यह सुझाव दें कि कोई भी कार्यकर्ता एक भी बोतल गिरा दे तो उसे दंड के रूप में रात्रि का भोजन छोड़ना होगा। प्रतिभागियों से इस सुझाव पर विचार करने के लिए समय दें और इसे अपनाने के लिए ताली बजाएं और दूसरों को भी ताली बजाने के लिए कहें। सभी स्वयंसेवकों की आंखों पर पट्टी बांधकर इसका निर्णय सुनाएं।
10. एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों को चुप रहने के लिए कहें। आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक स्वयंसेवक की बोतल के नजदीक मार्गदर्शन करें। तब एक प्रतिभागी तीनों बोतलों को सावधानी से वहां से हटाकर अलग रखता है। (ऐसा करते समय बाकी प्रतिभागी चुप रहें और किसी तरह की प्रतिक्रिया या आवाज देने से बचें)
11. पहले स्वयंसेवक का मार्गदर्शन करें और बताएं कि पहली बोतल कहां है। बोलें- “आप बोतल से 2 फीट दूर खड़े हैं।” जब हम ‘शुरू’ करने के लिए कहें तो आपको तीनों बोतलों की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, जैसा आपने अभ्यास किया है।
12. स्वयंसेवक को शुरू करने के लिए कहें। जब वे शुरू करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनके कदम को गिनें- एक....., दो....., तीन.....।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि प्रतिभागियों द्वारा भी स्वयंसेवक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताली बजाएं और बोलें- “बहुत अच्छा”। प्रतिभागियों को भी ऐसा करने के लिए कहें।
14. जब एक स्वयंसेवक इस क्रिया को पूरा कर ले तो उसको बाकी प्रतिभागियों के साथ गोल घेरा बनाकर बैठने को कहें लेकिन बताएं कि आंखों से पट्टी अभी नहीं हटानी है।
15. एक के बाद दूसरे स्वयंसेवक को यही प्रक्रिया दोहराने के लिए कहें।
16. जब तीनों इस अभ्यास को पूरा कर लें तो उनकी आंखों से पट्टी हटा लें और उन्हें शांत होने के लिए समय दें। ध्यान दें कि तीनों स्वयंसेवक, बाकी प्रतिभागियों के साथ गोल घेरे में बैठें हों। स्वयंसेवकों के चेहरे पर हैरानी के भाव होंगे जब वे देखेंगे कि वहां कोई भी बोतल नहीं थी और यह भी महसूस कर सकते हैं कि उन्हें ठगा गया या धोखा दिया गया।
17. एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों को चुप रहने के लिए कहें और तीनों स्वयंसेवकों से सौम्यता से पूछें-
 - क्या हुआ ?
 - आप क्या पार कर रहे थे?
 - दूसरे लोग क्यों हंस रहे हैं?
 - क्या आपको यकीन है कि आप बोतल पर चल रहे थे ?
 - यदि वहां बोतल नहीं थी, तो आप कहां पर चल रहे थे?
 - अब आप क्या महसूस कर रहे हैं जब बाकी प्रतिभागी आप पर ताली बजा रहे थे और चिल्ला कर आपकी कीमत पर मस्ती कर रहे थे।सुनिश्चित करें कि स्वयंसेवक ठगे गए हैं, यह भावना विचार-विमर्श के माध्यम से व्यक्त हो जाए।
18. अब बाकी प्रतिभागियों की तरफ मुड़ें और उनसे पूछें-
 - स्वयंसेवक बोतलों के ऊपर से कदम रखने का प्रयास क्यों कर रहे थे जबकि वहां कुछ नहीं था ?
 - स्वयंसेवकों के लिए बोतलें कहां थीं?



सोच यह है कि स्वयंसेवकों को धीरे-धीरे यह भान होगा कि वे वास्तव में बोटलों के ऊपर से कूद रहे थे जबकि बोटलें वहां नहीं बल्कि उनके दिमाग में थीं।

19. तीनों स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें वापस जाकर अन्य लोगों के साथ शामिल होने का अनुरोध करें। उन्हें काल्पनिक बोटलों पर चलने के लिए कहने पर क्षमा मांगें और उन्हें बताएं कि इस अभ्यास से और चर्चा जारी रखने से सीखने को काफी बढ़ावा मिलेगा।
20. क्या हुआ, इस पर चर्चा आरंभ करें। बोटलें कहां थीं? अपने दिमाग में कल्पना करें कि क्या वही बोटलें थीं जो आपके दिमाग में थीं। क्या हम उन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं? इस विश्वास का उदाहरण दें कि “लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए।” या “लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए” इत्यादि। इन धारणाओं की एक सूची बनाने में प्रतिभागियों की मदद करें और लिंग भेदभाव से संबंधित ऐसी मानसिकता पर ध्यान दें। प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने को कहें।
21. इस तरह की मानसिकता से संबंधित लैंगिक भेदभाव पर ध्यान केन्द्रित करें और इस तरह के सभी बिंदुओं की सूची बोर्ड पर लिखें।
22. ये नियम किसने बनाए? क्या इस नियम को स्वयंसेवकों पर थोपा गया? क्या इसे हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं?



सत्र का समापन

सत्र का समापन यह कहते हुए करें कि लड़कियों और स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे बंधन लगाए गए हैं जिससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। कई मान्यताओं एवं परम्पराओं को हम बिना समझे और तर्क किए आंख मूंद कर पालन करते हैं। उनमें से कई व्यर्थ होते हैं और हम उन पर कोई सवाल नहीं करते। विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियां चुपचाप इसे सहती हैं।

समाज के सभी पहलुओं से स्त्रियां बाहर होती जा रही हैं, जिसमें जीवन के अधिकार से वंचित रहना (भ्रूण और शिशु हत्या), कम भोजन करना, शिक्षा पाने पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना है। विशेष रूप से बच्चों के बीच घटता लिंग अनुपात, महिलाओं के खिलाफ अपराध में हुई वृद्धि दर जैसे परिणामों से समाज को सामना करना पड़ रहा है।

इस अभ्यास से सीखे गए निजी अनुभवों को साझा करने के लिए अपने प्रतिभागियों को आमंत्रित करें।

फेसिलिटेटर्स के लिए सुझाव

- यह सुनिश्चित करें कि बोटलें हटाने के दौरान जो कुछ हो रहा है उसका संकेत स्वयंसेवकों को न मिले, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।
- बोटलें हटाने के दौरान आप को कोई आवाज़ नहीं करनी चाहिए।
- चर्चा की समाप्ति पर सत्र को कामयाब बनाने के लिए स्वयंसेवकों को धन्यवाद दें।

दोपहर का भोजन

13:15 से 14:15 बजे (60 मिनट)



सत्र 5

दलितों के बहिष्कार को समझना

14:15 से 15:00 बजे (45 मिनट)

सत्र के परिणाम

सत्र के अन्त में प्रतिभागी निम्न रूप से योग्य हो पाएंगे:

- दलित और समाज से बाहर किए गए समुदाय के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर लेंगे।
- सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की नीतियों से समाज से बाहर रखे गए लोगों का ध्यान देने की ज़रूरत की गहरी और स्पष्ट समझ प्राप्त कर लेंगे।

आवश्यक सामग्री

- 'मैं एक दलित हूँ,' फिल्म, लैपटॉप और एलसीडी या टीवी और डीवीडी प्लेयर
- वाइटबोर्ड और मार्कर पेन

कार्य प्रणाली

- वीडियो का प्रदर्शन
- विचार विमर्श।

प्रक्रिया

प्रतिभागियों को बताएं - हमने अभी महिलाओं और लड़कियों को महिला होने की वजह से उनका बहिष्कार होते देखा है। अब हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं जिसमें दलितों और दबी हुई जातियों की दयनीय हालत को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद हम उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें, उसके लिए चर्चा करेंगे।

1. फिल्म को प्रदर्शित करें
2. फिल्म खत्म होने के बाद निम्नलिखित प्रश्न पूछें-
 - आपने फिल्म में क्या देखा?
 - महत्वपूर्ण दृश्य क्या थे?
 - फिल्म देखते समय आप क्या महसूस कर रहे थे?
 - आपने इसी तरह का व्यक्तिगत अनुभव किया है?
 - समाज में कौन सा अन्य वर्ग बहिष्कार की वजह से पीड़ित है?अच्छी तरह विचार विमर्श करें। प्रतिभागियों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
3. विचार विमर्श खत्म होते ही निम्नलिखित प्रश्न पूछें-
 - विकास कार्यकर्ता के रूप में, यह फिल्म और बोलतल का अभ्यास हमें क्या संदेश देते हैं?
 - हम बहिष्कृत लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे वे हमारी गतिविधियों में भाग ले सकें और उससे लाभ उठा सकें?
 - विचार-विमर्श से निकले बिन्दुओं को सूचीबद्ध करें।
4. अब निम्नलिखित प्रश्न पूछें-
 - वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी एसबीसीसी रणनीतियों और उपक्रमों को अधिक समावेशी बना सकते हैं ताकि कमज़ोर, बहिष्कृत और गरीब लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
 - हमें अपने काम में क्या परिवर्तन लाना चाहिए जिससे कमज़ोर, बहिष्कृत और गरीब लोग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें?
 - विचार-विमर्श से निकले बिन्दुओं को सूचीबद्ध करें और सत्र के समापन के लिए इसका उपयोग करें।



“ फेसिलिटेटरों के लिए नोट

सामाजिक बहिष्करण पर चर्चा

सामाजिक बहिष्कार एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के खास वर्गों को क्रमबद्ध तरीके से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उनके साथ उनकी नस्ल, जाति, धर्म, यौन उन्मुखीकरण, जाति, वंश, लिंग, उम्र, विकलांगता, एचआईवी स्थिति, प्रवासी स्थिति या जहां वे रहते हैं इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि कानून प्रणाली या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में और सामाजिक संस्थाओं जैसे घर में भी बराबर होता है।

सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोग इन सभी वजहों से पीड़ित हैं। सामाजिक बहिष्कार न केवल व्यवहार के बारे में है, लेकिन इसे सामाजिक संरचना में ही बनाया गया है। नजरिये को बदलने से यह जरूरी नहीं कि सामाजिक बहिष्कार बदल जाएगा। एक समाज की सामाजिक संरचना दृष्टिकोण के गठन में योगदान देती है और बदले में यही दृष्टिकोण, सामाजिक संरचना के रख-रखाव में योगदान देता है। इस बुरे दुष्चक्र से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है।

सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार के वर्चस्व, भेदभाव और आभाव को लेकर होता है। जिन लोगों को इससे लाभ होता है वे इसमें बदलाव नहीं करना चाहते। जिनके साथ यह भेदभाव हो रहा है उन्हें 'नीचा', 'अयोग्य', 'कम पढ़ा-लिखा', 'दबा हुआ', माना जाता है और वे मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने और लोगों को संगठित करने की स्थिति में नहीं हैं। वे इस तरह की अमानवीय सामाजिक व्यवस्था में रहना नहीं चाहते लेकिन उन्हें डर है कि यदि उन्होंने बहिष्कार और भेदभाव का विरोध किया तो उनका दमन कर दिया जाएगा।

बिहार सामाजिक संस्थान द्वारा छह उत्तरी राज्यों में दलित पहचान के पुनर्निर्माण पर कार्यशालाओं में चर्चा के दौरान यह पाया गया था कि दलितों के बारे में प्रमुख जातियों की नकारात्मक और अपमानजनक धारणा यह है कि वे गंदे और मलिन, चोर, लुटेरे, भक्षक (पेटू, खाऊ) बेईमान और कृतघ्न हैं। उनकी यह धारणा वास्तविकता को नकारती है। उदाहरण के लिए - अनुभव के आधार पर जो ब्योरा लिया गया है वह इस धारणा का समर्थन नहीं करता कि दलित पेटू हैं। वास्तविकता यह है कि दलित औरों की तरह जीवित रहने के लिए खाते हैं।

अपने बारे में दलितों के विचार ये हैं कि वे सक्षम हैं लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता है। वे मेहनती हैं लेकिन उन्हें उनके परिश्रम का फल नहीं मिलता है। उन्हें अक्सर ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहां वे लूटने या झूठ बोलने के लिए मजबूर होते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से प्रतिभाशाली हैं और अनैतिक नहीं हैं, इसके विपरीत वे संवेदनशील और भावुक हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह धारणा या आशंका अवास्तविक है। हालांकि, डॉ. लुइस का तर्क है कि हाशिए पर खड़ा एक समुदाय भी जीवन की वास्तविकता को देखने और सकारात्मक ढंग से सोचने के प्रति आशावान है।

आदिवासियों को एक अजीब दुविधा का सामना करना पड़ता है। वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने, अपनी संस्कृति और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए संगठित हो रहे हैं। हालांकि पहले वे पूरी तरह से बिलकुल अलग थे, परन्तु अब वे भेदभाव का शिकार हैं। गैर-आदिवासी लोग आदिवासियों को अपमानजनक तरीके से देखते हैं, विशेष रूप से उनकी खानपान की आदतें और जीने के तरीके बिलकुल अलग हैं। हालांकि, उभरती हुई आदिवासी पहचान ने उन्हें इस देश के पहले निवासियों के रूप में देखा है, जिसने भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत में बहुत योगदान दिया है, जिससे आज उनकी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचे और अर्थव्यवस्था को थोड़ा सम्मान दिखाया गया है।

भारत की आबादी में महिलाएं सबसे अधिक वंचित और भेदभाव से पीड़ित हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के संरचनात्मक तत्व के मूल में पितृसत्ता है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता और योनिकता का नियंत्रण पुरुषों के हाथ में है। पितृसत्ता महिलाओं की सम्पत्ति पर उनके स्वामित्व और स्वयं के परिश्रम की कमाई सहित अन्य आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण की सीमा निर्धारित करती है।





महिलाओं को यहां-वहां जाने पर पर रोक है। इसी वजह से उन्हें शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने में रुकावट आती है। वर्षों से यह माना जाता है कि महिलाओं के बहुमूल्य अनुभव को गरीबी और पितृसत्ता - दोनों के द्वारा दबाया जाता है। महिलाओं के बहिष्कार और शोषण करने में ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

भारत में मुस्लिम समुदाय एक और बहिष्कृत समूह वर्ग है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। वे बहुत कम कमाते हैं (वे औसतन सालाना 22,807 रुपये कमाते हैं जो दूसरों की औसत कमाई सालाना 25,653 रुपयों की तुलना में बहुत कम है)। मुसलमानों की केवल 21 प्रतिशत जनसंख्या ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज का उपयोग करती है जो कि सामान्य जनसंख्या के 33.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। स्कूलों में मुस्लिम बच्चों के नामांकन कम हैं (यह आम जनता का 71.4 प्रतिशत है, जबकि उनके समुदाय का 61.6 प्रतिशत है), और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। इस देश के नागरिक के रूप में मुसलमान न तो नीति-निर्धारण के स्तर पर और न ही उपायों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉ. लुईस बताते हैं कि इस माहौल में सामाजिक बहिष्कार बढ़ कर कई गुना हो गया है। उदाहरण के लिए, एक दलित या आदिवासी लड़की को अपनी जाति और बिरादरी की वजह से कई लाभों से वंचित रखा जा रहा है। यदि वह ग्रामीण इलाके में रहती है तो वह शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ भी उठा सकती। यदि वह लड़की विकलांग है तो वह अपने जीवनयापन के लिए जीवन रक्षक साधनों से भी वंचित होती है।

स्रोत- 'सोशल एक्सक्लूशन: चैलेंजेस फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन' (डीएफआईडी) से लिया गया है।

सत्र 6

संचार और सामाजिक समावेशन के लिए समूह कार्य 15:00 से 16:30 बजे (90 मिनट)

सत्र का परिणाम

सत्र के अन्त में प्रतिभागी:

- समावेशन को बढ़ावा देने में एसबीसीसी की भूमिका का स्पष्ट वर्णन कर पाएंगे।

आवश्यक सामग्री

- बोर्ड/चॉक/मार्कर/डस्टर
- 5 दिन के कार्यक्रम की एसबीसीसी योजनाओं की भरी हुई प्रतियां
- चार्ट पेपर (12-15) और मार्कर पेन (6)

प्रक्रिया

1. प्रतिभागियों को छह समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को एसबीसीसी योजना की एक प्रति दें।
2. सत्र की शुरुआत यह कहते हुए करें कि हमने अपने पहले सत्रों में देखा है कि कैसे समाज के कुछ वर्गों को बाहर रखा गया है। हमने विशेष रूप से महिलाओं और दलितों के बहिष्कार का अध्ययन किया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप ऐसी किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, जो बहिष्करण को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, आप समाज के ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य समाज के लिए उदाहरण बनते हैं और ये कार्य समाज को जोड़ने में योगदान देते हैं।
3. अपने समूह में दी गयी एसबीसीसी योजना को देखें और स्वयं द्वारा की जाने वाली कार्यवाई की सूची बनाएं, जो एसबीसीसी के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सामाजिक समावेशन को सुगम बनाएं।
4. कृपया इस पर चर्चा करने के लिए 25 मिनट का समय लें और चार्ट पेपर पर अपने सुझाव लिखें। प्रत्येक समूह से प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट का समय प्रस्तुतीकरण के लिए मिलेगा।





सत्र का समापन

अन्त में कहें कि कुछ बदलाव ज़रूरी हैं। इन बदलाव में लंबा समय लग सकता है लेकिन किसी व्यक्ति को इसकी शुरुआत करनी होगी।

- यदि राजा राममोहन राय ने पहला कदम नहीं उठाया होता तो कल्पना करें कि भारत में विधवाओं के साथ क्या होता?
- हमारे समाज में कई तरह के सामाजिक बहिष्कार मौजूद हैं। किसी के द्वारा इस अमानवीय व्यवहार को बंद करने के लिए ग्राम स्तर पर पहला कदम उठाना आवश्यक है।
- आपको जो काम दिया गया है उसमें आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो सामाजिक बहिष्कार को हटाने का कार्य करते हैं और इसे समाज को जोड़ने का जरिया बना सकते हैं। दूसरों द्वारा इसका अनुकरण करने के लिए इसे एक उदाहरण बनाएं।

चाय अवकाश

16:30 से 16:45 बजे (15 मिनट)



सत्र 7

मूल्यांकन और समापन

16:45 से 17:15 बजे (30 मिनट)

प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को सूचित करें कि हम सत्र के समापन पर हैं और दिन के सत्रों पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। उन्हें बताएं कि आप निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर के लिए उनकी सहायता करेंगे -

- दिन के विचार विमर्श से उन्हें क्या चीज़ सीखने को मिली?
- आप अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करेंगे जो समाज को जोड़ने में अधिक योगदान देगा?
- समाज के कमज़ोर लोगों तक पहुंचने का कौन सा तरीका अपनाएंगे?
- कौन सा सत्र उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों?
- क्या इस प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके पास कोई सुझाव है?

प्रतिभागियों को जवाब पूरा करने के लिए 20 मिनट दीजिए। अगर वे अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो न लिखें।

सत्र का समापन इस प्रेरक गीत के साथ करें - 'सौ में सत्तर आदमी'

प्रतिभागियों को उनकी बहुमूल्य भागीदारी और योगदान के लिए धन्यवाद दें।





सौ में सत्तर आदमी

सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रख कर हाथ कहिये देश क्या आज़ाद है...2

कोठियों से मुल्क की मय्यार को मत आंकिये,
असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है..2

जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में,
रौशनी उस गांव तक पहुंचेगी कितने साल में..2

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए..2

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए..2

एक चिंगारी कहीं से ढूंढ़ लाओ दोस्तो,
इस दीये में तेल से भीगी हुई बाती तो है..2

हम यहां पर आये हैं कुछ सीखने-सिखलाने को
रंज आपस में हो लेकिन काम होना चाहिए..2

सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रख कर हाथ कहिये देश क्या आज़ाद है...2



“मैं जब सुनता हूँ - उसे भूल जाता हूँ,
मैं जब देखता हूँ - उसे याद रखता हूँ,
मैं जब करता हूँ - उसे समझ जाता हूँ!”

चीनी कहावत

परिशिष्ट

- परिशिष्ट I : सत्र 5 - ‘मैं एक दलित हूँ’ फिल्म (सीडी में)
परिशिष्ट II : सत्र 6 - भरी हुई एसबीसीसी योजना का नमूना
परिशिष्ट III : सत्र 7 - ‘सौ में सत्तर आदमी’ गीत के शब्द
परिशिष्ट IV : प्री-पोस्ट प्रपत्र - सामाजिक समावेशन पर मॉड्यूल

परिशिष्ट ॥ (सत्र 6)

भरी हुई एसबीसीसी योजना का नमूना

ग्राम एसबीसीसी योजना

चरण

- ग्राम स्वास्थ्य मानचित्र के विश्लेषण से शुरूआत करते हुए स्थिति का आंकलन करना
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण योजना टेम्पलेट के संदर्भ में कॉलम 2
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण योजना विकसित करना
- ग्राम संचार योजना विकसित करना



ग्राम एसबीसीसी योजना									
कार्यक्रम के क्षेत्र	सूचीबद्ध सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन	व्यवहारागत परिवर्तन को बढ़ावा देने या रोकने के क्या-क्या कारक हैं?	कौन है जिसे संबोधित करना है?	मुझे क्या तरीका प्रयोग में लाना चाहिए?	मुझे क्या उपकरण या सामग्री प्रयोग करना चाहिए?	मुझे योजना को कब विकसित करना चाहिए?	मेरी मदद कौन करेगा?	मुझे कैसे जानकारी लेनी चाहिए?	मुझे बदलाव पर किस तरह नजर रखनी चाहिए?
सरकारी सेवा केंद्र का ठिकाना	ग्राम स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए	महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय कार्यदे-कानून	गांव के लड़के, युवक, महिलाएं और गांव के बुजुर्ग	सांस्कृतिक परिवर्तन- किशोरों, पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों का सम्मिलित समूह	खुली परिचर्चा और कथा वाचन (समाचारपत्र से एक कहानी ले)	एक विशेष सत्र का आयोजन करें	ग्राम प्रधान, स्थानीय धार्मिक नेता	आगामी 2 महीनों के लिए प्रत्येक 15 दिनों में एक बार पीएचसी का दौरा करें, महिलाओं से पूछें कि क्या वे सुरक्षित महसूस करती हैं	निगरानी समूहों को स्थापित करने के लिए 15 दिनों में एक बार पीएचसी का दौरा करें, महिलाओं से पूछें कि क्या वे सुरक्षित महसूस करती हैं
स्वास्थ्य देखभाल मांगने वाला व्यवहार	गर्भवती महिलाओं को एएनसी जांच के लिए आने और उनका लाभ उठाने के लिए कहना चाहिए	आम्य क्षेत्र, कम साक्षरता, पुरानी परंपराएं, रीति-रिवाज, अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों का अशुद्ध व्यवहार	माताएं, पति, सासू मां	सास-बहू सम्मेलन, पति-पत्नी सम्मेलन, बीएसएससी के सदस्यों के साथ घरों का संयुक्त दौरा	उस समुदाय की महिलाओं के साथ एक समूह सभा आयोजित करें, ताकि उनके एएनसी में न आने के कारणों का पता चले।	जैसे ही पता चले कि समुदाय में गर्भवती महिलाएं हैं, जो एएनसी के लिए नहीं आती हैं	उसी समूह की एक महिला जो सारे एएनसी पूरे कर चुकी हो और जिसे आदर्श के रूप में दर्शाया जा सकता हो	प्रत्येक तिमाही	एएनसी के लिए आंकड़ा प्राप्त करके, घरों का दौरा करके
निम्नांकित की स्थिति:									
गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	सासू मां और परिवार के अन्य सदस्यों को गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और नवजात शिशुओं की मदद उनके सेहत संबंधी देखभाल की आवश्यकताओं में करना है	खतरे के लक्षणों के प्रति जागरूकता की कमी, शिशु के आरंभिक स्नान और सफाई और दूध उतारने से पहले के भोजन को लेकर सामाजिक कार्यदे-कानून	परिवार और सासू मां	बार-बार घर के दौरे	फ्लिप-बुक, पोस्टर, फिल्में	प्रत्येक तिमाही, सभी गर्भवती महिलाओं के द्वारा एएनसी होने तक शामिल करना	एडव्यूडब्लू/ एएनएम	प्रत्येक एएनसी के समय	घरों का दौरा करके
किशोरी लड़कियां	परिवार में महिलाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को युवा लड़कियों को मासिकस्रम स्वच्छता की आवश्यकताओं से बताना और उनके साथ विचार-विमर्श करना है	जागरूकता की कमी, सामाजिक वर्तना जिसके कारण लड़कियों से चर्चा करने और उन्हें शिक्षित करने में संकोच पैदा होता है	किशोर लड़कियां, माताएं	विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में काउंसिलिंग सत्र	गुड़िया-पुली का प्रयोग करते हुए माताओं के साथ समूह सभा करें	मासिक सभाएं	ग्राम प्रधान (यदि महिला है) या प्रधान की पत्नी	मासिक	घर का दौरा करके साफ कपड़े/सैनिटरी नैपकिन के बड़े हुए इस्तेमाल के बारे में पता करें
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	टीकाकरण को निवारक उपाय के रूप में देखा गया है, समुदाय उपचारात्मक दवाओं से अधिक निवारक दवाओं के महत्व को जानता है	जागरूकता की कमी, पारंपरिक नकारात्मक मूल्य, आम्य क्षेत्र, सेवादाताओं का नकारात्मक नजरिया, स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता पर रखना	माताएं, पति, सासू मां	सामाजिक संवाद, धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करना	गुड़िया-पुली का प्रयोग करते हुए माताओं के साथ समूह सभा करें	मासिक योजना	स्थानीय धार्मिक नेता, विद्यालय के शिक्षक, जिन बच्चों का पूरा टीकाकरण हुआ है उनकी माताएं	पाठिक, 'बकाया-सूची' के चालू सत्यापन द्वारा	टीकाकरण की सही संख्या, बकाया सूची के सत्यापन द्वारा



गांव की एसबीसीसी योजना गांव के स्वास्थ्य मानचित्र का विश्लेषण

मुद्दे	क्या विश्लेषण करने की आवश्यकता है
गांव का नक्शा	उन घरों के ठिकाने, जहां बहुत गरीब, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक रहते हैं। गरीब लोग आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, वीएचएनडी साइट, पंचायत भवन आदि से कितने दूर हैं?
सरकारी सेवा केंद्रों का स्थान	क्या वे केंद्र में स्थित हैं? क्या ये सबकी आसान पहुंच में हैं? इस जगह से सबसे अधिक फायदा किसे मिलता है? किन्हें लाभ नहीं मिलता है?
स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यवहार	ऐसे कौन से परिवार हैं, जो प्रसवपूर्व जांच और बच्चे के टीकाकरण के लिए नहीं आते हैं, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां नहीं खाते हैं, सरकारी सेवाओं की अनदेखी करते हैं? वे गांव में कहाँ रहते हैं? क्या वे गरीब और उपेक्षित वर्ग से हैं? कौन लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए जाते हैं?
वीएचएनडी	वीएचएनडी को कितनी अच्छी तरह आयोजित किया गया है? क्या समुदाय ने सत्र के आयोजन में सहयोग और मदद की? क्या परिवार स्वयं आए या उन्हें बुलाया गया? क्या परिवारों को पता था कि सत्र का आयोजन कब होना है? क्या उन्हें पता था कि कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं? एएनएम, आशा और परिवारों/नवजात शिशुओं की माताओं ने आपस में किस तरह बातचीत की?
पानी और साफ-सफाई	पानी के स्रोत क्या हैं? पानी की गुणवत्ता कैसी है? क्या उन स्रोतों में नियमित रूप से क्लोरीन डाली जाती है? घरों में पानी को कैसे रखा जाता है? और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
पर्यावरणीय साफ-सफाई और स्वच्छता	कितने घरों में शौचालय हैं? कितने लोग शौच के लिए खुले में जाते हैं? क्या लोग शौच के बाद साबुन से हाथ धोते हैं? क्या माताएं बच्चों को धोने के बाद अपने हाथ साबुन से धोती हैं?
समूह के सामने आया कोई अन्य मुद्दा	क्या वहां दस्त के बहुत अधिक मामले हैं? क्या नलकूप और पानी के अन्य स्रोतों के आसपास की जगह साफ है? क्या विद्यालय, और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा है? क्या उनकी जगहें शौच के लिए इस्तेमाल होती हैं? ऐसा करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है? क्या उनके पास गंदे पानी के निकास के लिए नली और सोखता गड्ढा है? क्या पालतू जानवरों को घरों के बिलकुल पास या घरों के अंदर बांध कर रखा जाता है? एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन देखभाल इत्यादि।






ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण योजना

कार्यक्रम के क्षेत्र	प्राथमिकता के क्रम में चिन्हित समस्याएं	अपेक्षित कार्यवाही	सामाजिक परिवर्तन जो समुदायों के बीच होने चाहिए	व्यवहारगत परिवर्तन जो परिवारों के बीच होने चाहिए (व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय स्तर पर क्या व्यवहारगत परिवर्तन होने चाहिए, ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके?)
सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का ठिकाना	पीएचसी ऐसी एकांत जगह पर स्थित है जहां पहुंचना महिलाओं के लिए कठिन है	चूंकि पीएचसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, पर आसपास की जगह को सहयोगात्मक वातावरण के माध्यम से सुरक्षित बनाया जा सकता है	ग्राम स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सामाजिक जिम्मेदारी बनानी चाहिए	गांव के लड़के/युवक/महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र के आसपास समूह बना कर निगरानी रखते हैं
स्वास्थ्य देखभाल मांगने वाला व्यवहार	एक विशेष समुदाय की महिलाएं एएनसी के लिए नहीं आती हैं	कारणों का पता लगाएं	महिलाएं उन कारणों को व्यक्त करें जिसके चलते वह नहीं आ पाती है	वे एएनसी के लिए आना शुरू करते हैं और 100 आईएफए गोलियां लेते हैं
वीएचएनडी	लोगों को वीएचएनडी के लिए आने के लिए बार-बार याद दिलाने की जरूरत होती है	वीएचएनडी को एक प्रमुख स्वास्थ्य घटना के रूप में देखा जाना चाहिए	बहुत से हिस्सेदारों - पीआरआई सदस्य, स्थानीय विद्यालय के शिक्षक, आईसीडीएस/स्वास्थ्य, स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्रम के प्रचार के लिए शामिल करें।	परिवार वीएचएनडी के लिए आते हैं और एएनएम/एडव्यूडब्लू के साथ अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं
निम्नांकित की स्थिति:				
गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं	महिलाएं जवगी के तुरंत बाद के खतरे के लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं और इससे समय पर चिकित्सा देखभाल मिलने में रुकावट पैदा होती है	बेहतर एचबीपीएनसी	सासू मां और परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे की सेहत के संदर्भ में शामिल करें	सासू मां और परिवार के दूसरे सदस्य खतरे के लक्षणों को पहचानते हैं

कार्यक्रम के क्षेत्र	प्राथमिकता के क्रम में चिन्हित समस्याएं	अपेक्षित कार्यवाही	सामाजिक परिवर्तन जो समुदायों के बीच होने चाहिए	व्यवहारगत परिवर्तन जो परिवारों के बीच होने चाहिए (व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय स्तर पर क्या व्यवहारगत परिवर्तन होने चाहिए, ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके?)
किशोरी बालिकाएं	माहवारी संबंधी स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है	मासिकधर्म स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श हो उन्हें लड़कियों को बताया जाए	गांव की बुजुर्ग महिलाएं मुद्दे पर युवा लड़कियों से विचार-विमर्श करें	लड़कियां धूप में सुखाए हुए कपड़े / सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	टीकाकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है (100)	100 पहुंच के लिए रुकावटों और आसान बनाने वालों को पहचानना	टीकाकरण को निवारक उपाय के रूप में देखा गया है, समुदाय उपचारात्मक दवाओं से अधिक निवारक दवाओं के महत्व को जानता है	माता-पिता टीकाकरण को प्राथमिकता देते हैं
जल एवं साफ-सफाई	पानी का संग्रह सुरक्षित तरीके से नहीं है और बर्बाद होता है	पानी के संग्रहण को बेहतर बनाएं और उसे क्लोरिनीकृत करें	ग्राम जल एवं साफ-सफाई समिति को सशक्त बनाना चाहिए, पानी और पानी की सुरक्षा के प्रति समुदाय की रुचि बढ़ती है	पानी के स्रोत सुरक्षित हैं और पानी का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से होता है
कोई अन्य मुद्दा जिसे लेकर समूह आता है				





गांव की संचार योजना

कौलम	क्या भरा जाना है
सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता जैसा कि पिछले सत्र में सूचीबद्ध किया गया।	यह पिछले सत्र में किए गए समूह कार्य से लिया गया है। इसे हस्तक्षेप के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सूचीबद्ध करें।
व्यवहार परिवर्तन में रुकावटें क्या हैं?	बदलाव की राह में आने वाली रुकावटों की सूची (प्रवृत्ति, रिवाज, जागरूकता में कमी इत्यादि) फोर्स फील्ड अभ्यास को याद करें।
हित धारक (स्टेकहोल्डर) कौन हैं?	परिभाषित करें कि किस स्तर पर- व्यक्ति, परिवार या समुदाय- आप परिवर्तन लाना चाहते हैं। कुछ मामलों में यह तीनों स्तरों में हो सकता है, कुछ में यह दो में और किसी में केवल एक में। यह केवल कुछ व्यक्तियों या कुछ परिवारों में हो सकता है।
मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए?	क्या यह अन्तर्व्यक्तिक संप्रेषण (आपसी संचार)/परामर्श घर का दौरा करके होना चाहिए या सामूहिक सत्र में? क्या इसे समुदाय के नेताओं के स्तर पर होना चाहिए या समुदाय के स्तर पर मीडिया का प्रयोग करते हुए? कुछ मामलों में आपको कई तरीके अपनाने होंगे।
मुझे कौन से उपकरण या सामग्री प्रयोग करने चाहिए?	क्या मुझे सामुदायिक संवाद उपकरणों के साथ-साथ परामर्श, प्लान चार्ट के प्रयोग से चर्चा, फिल्म या अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? एक बार फिर, यह कई उपरोक्त उपकरणों का सम्मिश्रण हो सकता है।
मुझे संचार योजना कब विकसित करनी चाहिए?	क्या जब समस्या सिर उठाए तब करनी चाहिए? क्या ठीक मौसम शुरू होने से पहले करनी चाहिए? क्या मुझे इसे वीएचएनडी में करनी चाहिए या विशेष सत्र आयोजित करने चाहिए? मुझे इसे कितनी बार करना चाहिए, मुझे इसकी क्या बारंबारता रखनी चाहिए?
मेरी मदद कौन करेगा?	क्या मुझे दूसरे साथियों (आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनएम इत्यादि), पंचायत के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के नेता, युवा कार्यकर्ता आदि की मदद लेनी चाहिए? यदि आपको उनकी जरूरत है तो आपको उनके साथ सत्र की योजना बनानी चाहिए और टीम के प्रत्येक सदस्यों की स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए।
मुझे किस तरह अनुसरण (फॉलोअप) करना चाहिए?	किस बारंबारता से मुझे उनका अनुसरण (फॉलोअप) करना चाहिए? क्या मुझे दूसरा सत्र किसी दूसरे उपकरण के प्रयोग से करना चाहिए? मुझे कब अनुसरण के लिए घर का दौरा करना चाहिए इत्यादि।
मैं बदलाव पर कैसे नजर रख सकता हूँ?	क्या यह सेवा पाने वाले परिवारों के जरिए हो सकता है, क्या ग्राम स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से बदलाव लाने वाले समुदायों के जरिए हो सकता है या विभिन्न व्यक्तियों या परिवारों की निगरानी/खोजबीन करके हो सकता है?

ग्राम एसबीसीसी योजना को विकसित करने का प्रारूप

हस्तक्षेप का क्षेत्र	सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की सूची	व्यवहार परिवर्तन के कौन-कौन से रुकावट या प्रेरक है?	किसको संबोधित किया जाना है।	मैं किस तरीके का प्रयोग करूँ?	मैं किस सामग्री या उपकरण का प्रयोग करूँ?	मैं योजना कब बनाऊँ?	मेरी सहायता कौन करेगा?	मैं कैसे जांच करूँगा?	मैं बदलाव की निगरानी कैसे करूँगा?
सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र का स्थान									
स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने की इच्छा									
वीएचएनडी									
निम्न की स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> • गर्भवती और स्नान कराने वाली महिलाएं • किशोरी लड़कियां • छह वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे 									
जल एवं स्वच्छता									
पर्यावरण स्वच्छता एवं साफ-सफाई									
कोई अन्य मुद्दा जो समूह उठाए									



सौ में सत्तर आदमी



सौ में सत्तर आदमी

सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रख कर हाथ कहिये देश क्या आज़ाद है...2

कोठियों से मुल्क की मय्यार को मत आंकिये,
असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है..2

जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में,
रौशनी उस गांव तक पहुंचेगी कितने साल में..2

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए..2

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए..2

एक चिंगारी कही से दूँद लाओ दोस्तो,
इस दीये में तेल से भीगी हुई बाती तो है..2

हम यहां पर आये हैं कुछ सीखने-सिखलाने को
रंज आपस में हो लेकिन काम होना चाहिए..2

सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रख कर हाथ कहिये देश क्या आज़ाद है...2



परिशिष्ट IV

प्री-पोस्ट प्रपत्र

सामाजिक समावेशन पर मॉड्यूल

ट्रेनिंग से पहले

ट्रेनिंग के बाद

प्रतिभागी का नाम : दिनांक :

क. यदि आप नीचे दिए गए कथन से सहमत हैं तो 'हां' पर निशान लगाएं अन्यथा 'नहीं' पर लगाएं


1	जाति और धर्म के आधार पर बहिष्करण हमारी विरासत का हिस्सा है, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रबंधक के रूप में इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है	हां	नहीं
2	किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव नहीं है	हां	नहीं
3	आमतौर पर गांव के सभी परिवारों की समझदारी का स्तर समान होता है	हां	नहीं
4	सभी व्यक्तियों के समान अधिकार हैं, अतः किसी समूह या समुदाय के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है	हां	नहीं
5	ऐसे कई समूह हैं, जो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अतः जब हम उनके पास नहीं जाते हैं तो ठीक करते हैं	हां	नहीं
6	मानव अधिकार किसी जाति या धर्म से सर्वोपरि हैं	हां	नहीं
7	समाज को बदल कर उसे सामाजिक रूप से अधिक समावेशित और संयुक्त करनेवाला बनाने में हमारी भूमिका सीमित है	हां	नहीं
8	समाज को बदल कर उसे सामाजिक रूप से अधिक समावेशित और संयुक्त करनेवाला बनाने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है	हां	नहीं
9	महिलाओं की भूमिकाएं और कार्य सुपरिभाषित हैं और उन्हें उनकी सीमाओं में रहना चाहिए	हां	नहीं
10	स्त्री और पुरुष के बीच काम और भूमिकाओं को प्रकृति ने विभाजित कर रखा है	हां	नहीं
11	मुझे अपनी बेटी का भविष्य के बारे में निर्णय लेना है और मैं सोचता हूँ कि उसे एक गृहिणी बनाना चाहिए	हां	नहीं
12	लड़कियों को विद्यालय भेजना सुरक्षित नहीं है, अतः बेहतर है कि वे घरेलू कामकाज में लगी रहें	हां	नहीं
13	समाज के लाभ वंचित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों को चलाने की जरूरत है	हां	नहीं
14	समाज तभी तक सुरक्षित है जब तक लोग अपनी जगह को जानते रहें और उनके लिए निर्धारित सामाजिक वर्ग में बने रहें	हां	नहीं
15	योग्यता, ईमानदारी और कठिन परिश्रम पर किसी एक समुदाय, धर्म या लिंग का विशेषाधिकार नहीं है	हां	नहीं

ख. (केवल ट्रेनिंग के बाद)

इस प्रशिक्षण के बाद, वह कौन सा एक बदलाव आप अपने व्यक्तिगत या प्रोफेशन (कार्य-संबंधी) भूमिका में लाएंगे?





तरंगें
संविधान पर आधारित सीखने का समय




सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण 1
कौशल विकास के लिए मार्गदर्शिका

1 कौशल



तरंगें
संविधान पर आधारित सीखने का समय




सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण 2
ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए

अवधि: पांच दिवस

2 कौशल


तरंगें
संविधान पर आधारित सीखने का समय




सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण 3
मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए

अवधि: दो दिवस

3 कौशल



तरंगें
संविधान पर आधारित सीखने का समय




सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण 4
वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए

अवधि: एक दिवस

4 कौशल



तरंगें
संविधान पर आधारित सीखने का समय



सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण 5
सामाजिक समावेशन

अवधि: एक दिवस

5 कौशल

This image shows a sheet of white paper with 25 horizontal blue lines, resembling a piece of lined paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are small black corner marks at the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners.